

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

क्रमांक :- एफ.2 (क) (आर-170)/अलेसे-1/

दिनांक :- 5-12-2013

आदेश संख्या 316/2013-14

श्री राधेश्याम सैनी, सहायक लेखाधिकारी कार्यालय वित्तीय सलाहकार, सिंचित क्षेत्र विकास, इंगांनप, बीकानेर, जिनकी जन्मतिथि 25.09.1956 व राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 28.06.1982 है, को उनके आवेदन पत्र दिनांक 18.09.2013 के द्वारा चाहे अनुसार राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम, 50(1) के अन्तर्गत दिनांक 03.01.2014 से स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति एतद्वारा स्वीकृत की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री राधेश्याम सैनी, सहायक लेखाधिकारी के विरुद्ध सीसीए नियमों के अन्तर्गत कोई विभागीय जांच लम्बित/प्रस्तावित नहीं है।


(वीरबाला जोशी)
निदेशक

क्रमांक :- एफ.2 (क) (आर-170)/अलेसे-1/7061-7068

दिनांक :- 5-12-2013

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. वित्तीय सलाहकार, सिंचित क्षेत्र विकास, इंगांनप, बीकानेर।
2. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, बीकानेर।
3. कोषाधिकारी, बीकानेर।
4. श्री राधेश्याम सैनी, सहायक लेखाधिकारी कार्यालय वित्तीय सलाहकार, सिंचित क्षेत्र विकास, इंगांनप, बीकानेर।
5. गोपनीय शाखा, जांच शाखा, विधि शाखा।
6. निजी सहायक, निदेशक महोदया।
7. कम्प्यूटर शाखा (वेबसाइट हेतु)।
8. पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट/रक्षित पत्रावली।


(के.एम. मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)